निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 3(   )एससीआर/निकाशि/2011/345   दिनांक:– 13.6.11

1 समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, एवं राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

2 समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3 प्राचार्य, राजस्थान स्कूल आफ आर्ट एवं राजस्थान संगीत संस्थान,
जयपुर।

विषय:– अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का/क–1/ग्रो.प्र./2011 दिनांक 17–5–11 (फोटो प्रति संलग्न) की अनुपालना में आपको सूचित किया जा रहा है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र भिजवा दिये गये है तथा जिनके प्रपत्र अभी तक किन्ही कारणों से नहीं भिजवायें गये है, उनकी सूचना इस कार्यालय को निम्न प्रकार अविलम्ब भिजवायें :–

<u>प्रपत्र – (अ)</u>

1	महाविद्यालय में कार्यरत कुल राजपत्रित अधिकारियों की संख्या	
2	महाविद्यालय से भिजवायें गये कुल राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्रों की संख्या	
3	महाविद्यालय से राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भिजवाये जाने वाले बकाया अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्रों की संख्या	

<u>प्रपत्र – (ब)</u>

क.स.	नाम राजपत्रित अधिकारी/जिनकी अचल सम्पत्ति का विवरण भिजवा दिया गया है	विषय	जन्म तिथि
1	2	3	4

<u>प्रपत्र – (स)</u>

क.स.	नाम राजपत्रित अधिकारी/जिनकी अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं भिजवाया गया है	विषय	जन्म तिथि
1	2	3	4

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो अधिकारी अचल सम्पत्ति का विवरण **<u>प्रस्तुत नहीं करते है, तो उन्हें संलग्न परिपत्र दिनांक 17.5.11 के अनुसार आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।</u>** इस नियम का कठोरता से पालन किया जाये।

कृपया **<u>इसे स्वयं की जिम्मेदारी समझें</u>** व तद्नुसार पत्र प्राप्ति के 03 दिवस में सूचना निदेशालय को व्यक्तिशः भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उषा जैन

(श्रीमती उषा जैन)
संयुक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक 17.5.11

I.D. No. 60 PS/CCE/Dt. Dated 23-5-11

JD(P)

23/5

परिपत्र

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./11 दिनांक 14.04.2011 के द्वारा "राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति का विवरण 1.1.2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पति का विवरण सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया गया है । जो अधिकारी उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा" ।

ADC(P)

इसी परिप्रेक्ष्य में समस्त अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति का विवरण सार्वजनिक किये जाने को सुनिश्चित किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अधिकारी जिनकी कोई पदोन्नति शेष नहीं है, सेवाकाल बाकी है तथा इन या अन्य कारणों से अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत नहीं करते है तो उन्हें आगामी वार्षिक वेतनवृद्वि का लाभ देय नहीं होगा । साथ ही ऐसी अचल सम्पति का वर्तमान मूल्य उस अवधि में प्रचलित डी.एल.सी दर के आधार पर संगणित किया जाए ।

24/5/11

राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतनवृद्वि स्वीकृत की जावें ।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारियों एवं अधिनस्थ सेवाओं के समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियो को दिनांक 25.5.2011 तक आवश्यक रूप से अपनी अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

उप शासन सचिव